

*माननीय एल. बहरी और वी. के. बाली, जे. जे.- के समक्ष*

राधे शाम,

-याचिकाकर्ता,

*बनाम*

हरियाणा राज्य और अन्य

-उत्तरदाता।

Civil Writ Petition No. 13249 of 1991

31 जनवरी, 1992।

*भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 -चिकित्सा प्रतिपूर्ति - याचिकाकर्ता का नियमित होने से पहले अपनी तदर्थ सेवा की अवधि के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा- नियमित किए गए लोगों को तदर्थ सेवा के दौरान किए गए चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाले सरकारी निर्देश - नियमित होने के बाद, सेवा लाभ के लिए तदर्थ सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाएगा - चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि तदर्थ आधार पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा कार्यरत व्यक्ति को चिकित्सा तदर्थपूर्ति की यह रियायत नहीं दी जानी थी, भले ही वे छह महीने से अधिक समय तक कार्य करते रहे हों। हालाँकि, अपवाद बनाया गया कि यदि उन्हें नियमित किया जाता है तो वे हकदार होंगे। इस न्यायालय के समक्ष जो मामला है उसमें याचिकाकर्ता की सेवाओं को 19 दिसंबर, 1990 में नियमित किया गया था, जो तथ्य विवादित नहीं है और

उपरोक्त निर्देशों को देखते हुए, वह तदर्थ सेवा की अवधि के दौरान किए गए *चिकित्सा खर्चों* की प्रतिपूर्ति का भी हकदार होगा। नियमितीकरण के बाद चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए, मामले को नियमों के तहत शामिल किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद वरिष्ठता, पेंशन, उपदान आदि जैसे सेवा लाभों और चिकित्सा पुनर्भुगतान के लिए तदर्थ सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(पैरा 4)

भारत के *संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:—*

- (a) प्रतिवादी को *याचिकाकर्ताओं के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की अनुमति देने का निर्देश देने वाला कोई रिट या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।*
- (b) *याचिकाकर्ता को किसी भी अन्य राहत की अनुमति दी जाए, जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाता है।*
- (c) *अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करना और प्रतिवादी को पूर्व सूचना जारी करना अनावश्यक माना जाए, और*
- (d) *रिट याचिका को कृपया लागत के साथ अनुमति दी जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर से *अंजना एम. अनोचा, अधिवक्ता*

प्रतिवादी की ओर से जयवीर *यादव, डी. ए. जी. हरियाणा,*

### निर्णय

वित्तीय आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय में काम करने वाले एक चालक राधे शाम ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है ताकि प्रतिवादी को निर्देश दिया जा सके कि वह याचिकाकर्ता के *नियमित होने* से पहले उसकी तदर्थ सेवा की अवधि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करें।

(2) याचिकाकर्ता को 1986 में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। 31 दिसंबर, 1990 से उसे नियमित कर दिया गया। इस संबंध में पत्र की प्रति संलग्नक पी/1 है। याचिकाकर्ता के बेटे का अप्रैल 1990 में पी. जी. आई. में ऑपरेशन किया गया था। उसे 28 अप्रैल, 1990 को छुट्टी दे दी गई और उसके बाद उसका 18 नवंबर, 1990 तक पी. जी. आई. के ओ. पी. डी. में इलाज हुआ। पूरा इतिहास संलग्नक पी/2 में निहित है। याचिकाकर्ता ने इस बिल की प्रतिपूर्ति का दावा किया जो संलग्नक पी/3 में दिए गए विवरण के अनुसार Rs 1337.69 है। दावा 2 मई, 1991 को संलग्नक पी/4 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था- जिस आदेश को चुनौती दी गई है।

(3) प्रतिवादी का कहना यह है कि संलग्नक पी/1 में निहित निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता तदर्थ सेवा की अवधि के दौरान किए गए खर्च की *प्रतिपूर्ति* का हकदार नहीं था।

(4) पार्टियों के वकीलों को सुनने के बाद हमारा विचार है कि विवादित आदेश संलग्नक आर/1 के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए पारित किए गए हैं। इस विषय पर 20 सितंबर, 1968 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे:

“इस प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया है और निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति तदर्थ आधार पर रोजगार कार्यालयों से कार्यरत *अधिकारियों* को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वे राज्य सरकार के कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार देने वाले नियमों के दायरे में नहीं आते हैं।”

इसके बाद 24 जनवरी, 1969 के पत्र में उपरोक्त निर्देशों को स्पष्ट किया गया। यह पत्र संलग्नक आर/1 में निहित है और प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:—

“20 सितंबर, 1968 के हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 1642-यू. एस. एफ. पी.-सेल (3एच. बी. आई.)-68/22290 की निरंतरता में, इस विषय पर उल्लेख किया गया है कि मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि विभिन्न

विभागों ने निम्नलिखित दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए संपर्क किया है:— .

(i) संदर्भ के तहत आदेश किस तिथि से प्रभावी है, अर्थात्, वह संदर्भ के तहत पत्र जारी होने की तारीख से प्रभावी है।

(ii) क्या वे अधिकारी, जो नियमित पदों के विरुद्ध छह महीने की समाप्ति के बाद कार्यरत हैं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क प्राप्त करने के लिए रियायत के लिए पात्र हैं या नहीं।

2. राज्य सरकार ने उक्त प्रश्नों पर विचार किया है और निर्णय लिया है कि उपरोक्त (i) के संबंध अन्य बातों के साथ साथ, मुझे यह कहना है कि चूंकि तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी शुरु से ही चिकित्सा शुल्क की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से चिकित्सा उपस्थिति नियमों के तहत नहीं आते हैं, इसलिए ऐसे कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती। तदनुसार ऐसे मामलों में चिकित्सा शुल्क प्रतिपूर्ति की वसूली की जानी चाहिए।

3. जहाँ तक (ii) उपरोक्त का संबंध है, मुझे यह इंगित करना है कि रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजित अधिकारी चिकित्सा उपस्थिति नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, भले ही वे छह महीने के बाद भी काम करना जारी रखें, जब तक कि उन्हें आयुक्त द्वारा नियमित नहीं किया जाता है, और वे चिकित्सा शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति के संबंध में रियायतों का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हैं।”

निर्देशों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तदर्थ कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रियायत की अनुमति नहीं देना सरकार की नीति थी। जाहिर है, यदि कोई व्यक्ति अल्पावधि के लिए नियोजित था, मान लीजिए कि छह महीने के लिए, और वह नौकरी छोड़ देता है, तो उसे ऐसी रियायत नहीं दी जानी थी और यह ऊपर उल्लिखित निर्देशों से स्पष्ट है। ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे नियमित पद के स्थान पर काम करने के लिए कहा गया था, 24 जनवरी, 1969 के पत्र में एक विशिष्ट बिंदु (ii) उठाया गया था, जिसका उत्तर ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए उपरोक्त पत्र के पैरा 3 में दिया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि तदर्थ *आधार पर* एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कार्यरत व्यक्तियों को चिकित्सा तदर्थपूर्ति की यह रियायत नहीं दी जानी थी, भले ही वे छह महीने से अधिक समय तक काम कर रहे हों। हालाँकि, अपवाद बनाया गया था कि यदि उन्हें नियमित किया जाता है तो वे हकदार होंगे। वर्तमान एक मामला है जहां याचिकाकर्ता की सेवाओं को 19 दिसंबर, 1990 को नियमित किया गया था, जो तथ्य विवादित नहीं है और उपरोक्त निर्देशों को देखते हुए, वह तदर्थ सेवा की अवधि के दौरान किए गए चिकित्सा खर्चों की तदर्थपूर्ति *का भी* हकदार होगा। नियमितीकरण के बाद चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के मामले को नियमों के अंतर्गत देखा जाएगा। नियमितीकरण के बाद सेवा *लाभ जैसे* वरिष्ठता, पेंशन, उपदान आदि और चिकित्सा तदर्थपूर्ति के लिए भी तदर्थ सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(5) ऊपर बताए गए कारणों से, आदेश संलग्नक पी/4 को रद्द किया जाता है और प्रतिवादी को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिल की तुरंत प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया जाता है।

याचिकाकर्ता को लागत मिलेगी जो रु 1000 है।

*जे एस टी।*

**अस्वीकरण :**

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीत कुमार  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
झज्जर, हरियाणा

